

केन्द्र सरकार के नियमों द्वारा तय फॉर्म
फॉर्म- 'ए'
सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत सूचना लेने के लिए

केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली।

हवारी संख्या 9515
दिनांक 07/08/12

दरखास्तकर्ता का नाम	रमेश वर्मा
पूरा डाक का पता	10 बिंदल धर्मशाला मार्केट, बाजार वकीलान, हिसार
सूचना का विषय	गुमशुदा/चोरी सामान की रिपोर्ट दर्ज व उस पर हुई कार्रवाई के संबंध में।
मागो गई सूचना का विवरण	<p>मेरे द्वारा दिनांक 28-7-2017 को प्रातः लगभग 2 बजे घरेलू हवाई अड्डा नई दिल्ली से पुलिस कंट्रोल रूम को मेरा सामान गुम/चोरी होने के संबंध में सूचना दी थी जिसके पश्चात घरेलू हवाई अड्डा स्थित पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत/सूचना मेरी बस टिकट के साथ दी थी जिसमें मेरा एक बड़ा पालीथीन बैग इंटरनेशनल हवाई अड्डा के पिलर संख्या 18 से आईएसबीटी को प्रातः लगभग 1:50 पर गई राजघाट डिपो की लाल रंग की बस में मेरा एक पालीथीन बैग छूट गया था। के संबंध में थी। इस संबंध में निम्न सूचनाएं प्रदान करें।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मेरे द्वारा घरेलू हवाई अड्डा के पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत/सूचना के पश्चात दर्ज की गई रपट इत्यादि की सत्यापित प्रति प्रदान करें। 2. उपरोक्त मामले में नियुक्त आई ओ (जांच अधिकारी) का नाम पद/नाम बतलाएं। 3. उपरोक्त शिकायत/सूचना के पश्चात इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच/तफतीश इत्यादि के संबंध में थाने से बाहर जाने हेतु रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज आने व जाने की एंट्री की सत्यापित प्रतियां प्रदान करें। 4. उपरोक्त वर्णित बस में लगे सीसीटीवी कॅमरा की रिकार्डिंग यदि जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई हो तो उसकी रिकार्डिंग सीडी में प्रदान करें। 5. उपरोक्त मेरी शिकायत/सूचना का वर्तमान स्टेटस बतलाएं व इस पर की जा रही कार्रवाई की सूचना प्रदान करें। 6. पिछले 3 वर्षों में दिल्ली पुलिस के सभी थानों में दर्ज चोरी/गुमशुदगी के जितने मामले दर्ज हुए उनकी वर्षवार संख्या बतलाएं व दिल्ली